

**बिहार में 2009 के बाढ़ से प्रभावित दलित परिवारों के बीच
सरकार-संचालित राहत प्रक्रियाओं की ऑडिट**

परिवार के मुखिया का नाम							
गाँव		पंचायत		ब्लॉक		जिला	
जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम							
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध						उम्र	
परिवार की आमदनी के ज़रिए							

- बाढ़ राहत की जाँच से सम्बन्धित प्रश्न -

क्षति के प्रकार	क्षति का विवरण	सी0 आर0 एफ0 नीतियों के अनुसार प्राप्य	कितना मिला?
मृत्यु		1 लाख रू0	
हाथ-पैर या आँखों की क्षति		35 हजार रू0 – 40% से 75% विकलांगता 50 हजार रू0 – 75% से अधिक विकलांगता	
गंभीर चोट		7500 रू0 – जब एक सप्ताह से अधिक समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़े 2500 रू0 – जब एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में रहना पड़े	
वृद्ध, अपाहिज एवं निःसहाय बच्चे		20 रू0 प्रति वयस्क प्रतिदिन 15 रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन	
घर बह गया हो या क्षतिग्रस्त हो या एक सप्ताह से जलप्लावित हो		कपड़ों के लिए 1000 रू0 प्रति परिवार बर्तन/घरेलू सामान के लिए 1000 रू0 प्रति परिवार	
खाद्यान्न नहीं हो या आपदा से बर्बाद हो गये हो, तथा तत्काल सहायता की जरूरत हो		20 रू0 प्रति वयस्क तथा 15 रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन, अधिकतम 15 दिनों के लिए	
अनुपूरक पोषण		2 रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (ICDS मानदंडों के मुताबिक) 30 दिनों तक	
फसल क्षति 50% या अधिक	कृषि फसल/रोपने वाले फसल एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	2000 रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए	
		4000 रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र के लिए	
		छोटे जमीन वाले किसी छोटे किसान को 250 रू0 से कम नहीं	
	शाश्वत फसल के लिए	6000 रू0 प्रति हेक्टेयर छोटे किसानों को 500 रू0 से कम नहीं	
दूधारू जानवर (गाय/भैंस इत्यादि) की क्षति		10000 रू0 की दर से	
दूध नहीं देने वाले जानवर (ऊँट/घोड़ा) की क्षति		10000 रू0 की दर से	
भेड़/बकरी की क्षति		1000 रू0 की दर से	
बछड़ा/गदहा/टट्टू की क्षति		5000 रू0 की दर से	
पॉल्ट्री (मुर्गी) की क्षति		30 रू0 प्रति चिड़िया के दर से अधिकतम सीमा 300 रू0 तक	
बड़े पशु के चारा के लिए		20 रू0 प्रतिदिन की दर से, 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए	
छोटे पशु के चारा के लिए		10 रू0 प्रतिदिन की दर से, 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए	
पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के मरम्मत के लिए		25000 रू0 प्रति मकान	
पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के मरम्मत के लिए		10000 रू0 प्रति मकान	
अत्याधिक क्षतिग्रस्त पक्के		5000 रू0 प्रति मकान	

मकानों के मरम्मत के लिए			
अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के मरम्मत के लिए		2500 रु0 प्रति मकान	
आंशिक रूप से (15%) क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकानों के मरम्मत के लिए		1500 रु0 प्रति मकान	
क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी		2000 रु0 प्रति झोपड़ी	
राहत		50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0ग्रा0 चावल प्रभावित परिवारों को	
रोजगार सृजन		मांग के आधार पर परिवार के एक व्यक्ति को देय, माह में कम से कम 10 दिनों के लिए; प्रतिदिन 8 कि0ग्रा0 गेहूँ या 5 कि0ग्रा0 चावल, तथा न्यूनतम मजदूरी का बाकी हिस्सा नकद में	

सम्बन्धियों में सबसे निकटतम व्यक्ति जिसे ऊपरोक्त लाभ मिले हैं, का नाम व जवाब देने वाले से सम्बन्ध				
बाढ़ के दौरान परिवार के सदस्यों के बीमारियों या मद्दमारियों से ग्रस्त होने की घटनाएँ	रोगी से रिश्ता	बीमारी	अवधि	स्वा0 केंद्र से कोई लाभ मिला?

क्या बाढ़ के दौरान कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी? कितना?	
क्या बाढ़ के दौरान भूखे रहने की नौबत आई? कितने दिन?	

राहत हासिल करने के दौरान क्या कभी किसी तरह के भेदभाव या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा?

परिवार द्वारा मुख्य योजनाओं या सेवाओं से हासिल लाभ का व्यौरा			
योजना	क्या कभी लाभ मिला? किस दर से मिला?		
बी0 पी0 एल0 @ 35 किलो खाद्यान्न			
वृद्ध पेंशन @ 200 रु0			
इन्दिरा आवास @ 25000 रु0			
अन्त्योदय अन्न योजना @ 35 किलो/गे2चा3			
अन्नपूर्णा योजना @ 10 किलो मुफ्त अनाज			
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना @ 10,000 रु0			
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना @ 500 रु0			
जननी सुरक्षा योजना @ 1400 रु0			
नरेगा जॉब कार्ड व मजदूरी @ 81 रु0			
विधवा पेंशन @ 200 रु0			
विकलांगता/निःशक्तता पेंशन @ 200 रु0			
परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे	परिवार में स्कूल न जाने वाले बच्चे		
निकटतम प्रा0 विद्यालय की दूरी	निकटतम स्वास्थ्य केंद्र की दूरी		
निकटतम सवारी स्थल की दूरी	निकटतम पेयजल स्रोत की दूरी		
निकटतम आंगनवाड़ी की दूरी	निकटतम टेलीफोन बूथ की दूरी		

जवाब देने वाले का हस्ताक्षर _____ **साक्षात्कर्ता का हस्ताक्षर व तिथि** _____